कार्यवाही विवरण	अनुपालना क्रमांक व दि
2.1.19 वकील वादी उपस्थित। प्र०न० पक्ष अदि वकील श्री चन्द्र कान्त शर्मा के वक्तव्य में विरुद्ध शेष प्रति० के सम्मन तामील कराने पर नहीं आने के कारण तलबी के सम्बन्ध उपस्थ हेतु सम्मन चार्ज 19 रुपये दिया जाकर पत्रावली दि० 2.1.19 को पेश हो।	
16.1.19 वकील वादी व वादी उपस्थित। वादी के वकील वादी द्वारा उपरोक्त इस्तवानी प्रमाण के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रकरण के पक्षकार में राजीनामा हो चुका है प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता। तथा वाद को विड्रा करना चाहता है प्र०न० प्रस्तुत होकर पत्रावली पेश हुई। वादी की पश्चात वकील की द्वारा की गई वादी का दि० प्रकरण विड्रा करने का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रोस्टर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही आवा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दि० नियत 16.1.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	प्रमाण पश्चात किया